

कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

-: आदेश :-

क्र. 198 / एक-11-1/97 / (S.W.)

जबलपुर दिनांक-24 फरवरी, 2024

सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक, जो दिनांक 28 दिसम्बर 2023 को जारी किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर आदेश के अनुसार श्रीमती तबरसुम खान, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश जबलपुर को पदोन्नत होने के फलस्वरूप उनकी न्यायालय रिक्त हो गई है जिसके परिपालन में कार्य विभाजन पत्रक में आंशिक संशोधन किया जाना है, जो तत्काल प्रभावशील होगा।

01. सरल क्र. 44 में दर्शित न्यायालय षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु क्रमांक-02 को विलोपित किया जाकर रिक्त न्यायालय जोड़ा जाता है।
02. सरल क्र. 55 में दर्शित न्यायालय सत्रहवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु क्रमांक-01 के बाद बिन्दु क्रमांक 02 विषयक जोड़ा जाता है।

02. जबलपुर तहसील से उद्भूत होने वाले म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत संबंधित अपीलें।

Sde
(आलोक अवस्थी)
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर

पृष्ठा. क्र. 535 / एक-11-1/97 / (S.W.)

जबलपुर दिनांक-26 फरवरी, 2024

- 01- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
- 02- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर,
- 03-जबलपुर
- 04- फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय, जबलपुर
- 05- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

For
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर